न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
म्युटेशन रीविजन वाद संख्या–34 / 2014
राजेन्द्र मंडल बनाम भूषण मंडल

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
10/02/15	**आदेश** आवेदक की ओर से समय का आवेदन प्राप्त। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके वरीय अधिवक्ता अपने निजी कार्यवश न्यायालय में उपस्थित नही रहने के कारण समय की मॉग करते है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत वाद चलने योग्य नही है। प्रस्तुत वाद अपर समाहर्त्ता, दरभंगा द्वारा दाखिल खारिज रिविजन वाद संख्या–06 / 08–09 भूषण मंडल बनाम राजेन्द्र मंडल में दिनांक–30.03.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध वाद दायर किया गया है। बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम–2011 की धारा–8 के अन्तर्गत समाहर्त्ता/ अपर समाहर्त्ता को रिविजन की शक्ति प्रदत्त है जिसके विरूद्ध वाद दायर करने की चर्चा अधिनियम में नही की गयी है। वाद आवेदन के अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता को सुनने उपरांत स्पष्ट होता है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम–2011 की धारा–08 में रिविजन की शक्ति समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता के न्यायालय को समान रूप से दी गयी है जिसके विरूद्ध वाद दायर करने का उल्लेख अधिनियम में नहीं है। इस प्रकार अपर समाहर्त्ता द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध वाद दायर करने का यह सक्षम न्यायालय नही हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस संबंध में अधिनियम की धारा का भी उल्लेख आवेदन में नही किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन इस न्यायालय में विचारण योग्य है। अतएव आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन पर किसी प्रकार की निर्णय लिया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे रहने के कारण आवेदक द्वारा दाखिल वाद आवेदन खारिज किया जाता है। समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा।	